

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/नाम विलोपित पार्ट-2-2024/25947/2024/52

दिनांक 31/2/2024

-: आदेश :-

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिक का सेवा में रहते उनके नाम के सम्मुखानुसार अंकित दिनांक से निधन होने के कारण राज्य सेवा से नाम पृथक किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती) एवं पद	पदनाम पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	निधन की तिथि
1	महेन्द्र कुमार सोनी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	पीएमओ, नागौर	29.09.1968	29.04.1993	23.12.2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/नाम विलोपित पार्ट-2-2024/25947/2024/52

दिनांक 31/2/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर।
- पीएमओ, नागौर को उनके पत्रांक 137 दिनांक 25.01.2024 के क्रम में।
- मृतक के आश्रितों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी राजहैल्थ / प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी. (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5526359